निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 07/अपील/21

01. राधेश्याम आ0 कन्हैयालाल नाथ जाति नाथ नि0 ग्राम सलावद तहसील बकानी
02. रोडूलाल आ0 कन्हैयालाल नाथ जाति नाथ नि0 ग्राम सलावद तहसील बकानी
(अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बकानी दिनांक 16.10.2020 तहत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री संजय कुमार सक्सेनां, अभिभाषक अपीलान्ट्स
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 03.08.2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 16.10.2020 जो मिसल न0 1103/20 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम सलावद की आराजी ख0न0 662 रकबा 0.01 बीघा किस्म गे0मु0रास्ता पर अतिक्मी मानकर 90 दिवस का सिविल कारावास व 03/–रू. शास्ती के दण्ड से दण्डित किया गया है से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेंमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून,तथ्य एवं प्राकृतिक न्यायालय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई वैधानिक नोटिस नही दिया गया है व जवाब/साक्ष्य पेश करने का अवसर नही दिया गया और ना पटवारी के बयान लिये गये और ना ही पटवारी से जिरह का अवसर दिया गया है, अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी पर पूर्व में कभी कब्जा रहा हो इस बात की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। अपीलान्ट द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही होने का प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया है व तथा जुर्माना जमा कर दिया गया है वर्तमान में भूमि रिक्त पडी हुई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट्स ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने आराजी पर से कब्जा हटा लिया है पेनल्टी की राशि जमा करवादी है। अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस तो खसरा न0 676 की आराजी का दिया गया है किन्तु निर्णय खसरा न0 662 की आराजी बाबत पारित किया गया है, आराजी पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है व पेनल्टी की राशि जमा करवा दी गई है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा गे0मु0रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार अपीलान्ट्स को ग्राम सलावद की आराजी ख0न0 676 की 0.01 बीघा गे0मु0रास्ता पर अतिकमी मानकर समस्त कार्यवाही सम्पादित की गई है किन्तु निर्णय ग्राम सलावद की आराजी ख0न0 662 की 0.01 बीघा का पारित किया गया है जो अभिभाषक अपीलान्ट्स की बहस की पुष्टी करता है। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही ख0न0 662 बाबत की गई है किन्तु निर्णय में ख0न0 676 अंकन हो गया है किन्तु इस मानवीय गलती से अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना नजर अन्दाज नही किया जा सकता क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आराजी ख0न0 676 पर पूर्व में अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर मिसल न0 1101 निर्णय दिनांक 10.10.2019 से आराजी से बेदखल कर 50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलान्ट का ख0न0 676 की आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिकमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ तहसीलदार बकानी द्वारा जारी जो कब्जा छोडने की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है वह भी आराजी ख0न0 662 बाबत प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त विवेचन से प्रकरण की पुनः जांच करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील बकानी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के कब्जे की जॉच कर सुनवाई पश्चात पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़